राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1372/2013/जालौर.

मैसर्स विश्वकर्मा ट्रेडर्स, सांचौर, जालौर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीनमाल, जालौर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री के. जी. खत्री, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, पाली (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–भीनमाल (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24(1) व 24(4) के तहत पारित किये गये एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 को रिओपन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण में अपीलार्थी का वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 को एकपक्षीय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिनके द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 22.06.2010 एवं 13.07.2010 के लिये जारी किये गये परन्तु व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से धारा 34 का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 13.7.2010 का जो नोटिस जारी किया गया था वह दिनांक 28.7.2010 को प्राप्त हुआ था अतः नोटिस पेशी की तारीख के बाद प्राप्त होने से दिनांक 13.7.2010 को उपस्थित नहीं हो सके। इसके अलावा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई विशिष्ठ नोटिस जारी किये ही एकपक्षीय आदेश पारित किया। पूर्व में दिनांक 24.02.2010 को एक नोटिस

लगातार.....2

जारी किया था, किन्तु वह स्वयं बीमार होने से उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रशासनिक अधिकारी को दिनांक 03.06.2010 को पुनः चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र भी पेश कर दिया था। अतः एकपक्षीय आदेश निरस्त करने एवं पुनः आदेश कराने के निर्देश देने की प्रार्थना की।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उक्त तथ्यों के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने एक पक्षीय आदेश के पूर्व कोई विशिष्ठ नोटिस जारी नहीं किया एवं पूर्व में दिनांक 24.4.2010 का नोटिस जारी करने के बाद दिनांक 30.3.2010 को एकपक्षीय आदेश पारित किया। आदेश में किसी भी नोटिस का हवाला नहीं दिया एवं तीन त्रैमास के प्रस्तुत विवरण–पत्रों पर ध्यान दिये बिना आदेश पारित किया गया है जिससे जाहिर है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है एवं यह प्रमाणित है कि आदेश दिनांक 30.03.2010 की पेशी का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसी तरह प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी इन तथ्यों की अनदेखी की गई एवं प्रशासनिक अधिकारी के नोटिस भी निर्धारित सुनवाई तिथि 13.7.2010 के बाद प्राप्त हुए एवं स्वयं प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 13.7.2010 में यह अंकित है कि जारी नोटिस लौटकर नहीं आया है।

7. उक्त तथ्यों के अधीन न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रशासनिक अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के एकपक्षीय आदेश अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करें। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे वांछित दस्तोवजों सहित दिनांक 17.07.2018 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

8. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य